भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No.10/2023

No.2023/ACI/6/2/SCT **New Delhi, Dated: 03/04/2023**

The PFAs,
All Zonal Railways/ Production Units.

Sub: - Submission of Supplementary-I Actual Account Current to end of March, 2023.

Ref.:- Railway Board's letter no. 2023/ACI/6/2/SCT dated 21.03.2023 (RBA 07/2023).

In continuation to letter ibid, the time schedule for submission of additional Financial & Accounting returns for FY 2022-23 is as under:

Sr. No.	Particulars of Accounts and Returns	Due date by which Accounts & Returns must reach Railway Board		
		Advance copy to Railway Board	Advance copy to Local PDA	Audited copy to Railway Board
1.	Statement of Plan Head-wise & Source-wise work expenditure showing voted & charged and Gross, Credit and Net expenditure under Grant No. 16 in thousand of ₹. A separate statement showing category-wise Bulk order & other than Bulk order figures under PH-2100 (Rolling stock) should be sent. The figures of category-wise & B.O. must tally with the debits accepted in January and March Account. **(Item no. 25 of Annexure-A of letter ibid)**	03/06/2023	03/06/2023	21/06/2023
2.	Statement of loss on Strategic lines **(Only for NR, NFR, NWR & WR)**	03/06/2023	03/06/2023	21/06/2023

Note: Before submitting the above statements, it should be ensured that the figures shown therein are reconciled with Accounts and that there are no differences.

Please acknowledged receipt and ensure compliance.

(Pratima Tripathi)
Director Finance/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. Director General (Railway Board Audit), Railway Board, New Delhi-110001.
2. Accounts Appropriation Section, Railway Board for information and necessary action.
3. GM/Finance, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

भारतीय रेल/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 10/2023

सं. 2023/एसीI/6/2/एससीटी नई दिल्ली, दिनांक: 03/04/2023

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: मार्च, 2023 के अंत तक के पूरक-I वास्तविक चालू लेखा को प्रस्तुत करना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.03.2023 का पत्र सं. 2023/एसीI/6/2/एससीटी (आरबीए 07/2023).

पूर्वोक्त पत्र के क्रम में, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त वित्त एवं लेखांकन विवरणियों को प्रस्तुत करने की समय-सारणी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**लेखों और विवरणियों के विवरण**	**लेखों एवं विवरणियों के रेलवे बोर्ड तक पहुँचने की नियत तारीख**		
		रेलवे बोर्ड को अग्रिम प्रतिलिपि	स्थानीय पीडीए को अग्रिम प्रतिलिपि	रेलवे बोर्ड को लेखापरीक्षित प्रतिलिपि

			प्रतिलिपि	
1.	हजार रुपयों में अनुदान सं. 16 के अंतर्गत दत्तमत एवं प्रभारित, और सकल, जमाखाते और निवल व्यय को दर्शाने वाला योजना शीर्ष-वार एवं स्रोत-वार कार्य व्यय का विवरण। योजना शीर्ष-2100 (चल स्टॉक) के अंतर्गत कोटि-वार थोक क्रयादेश एवं थोक क्रयादेश से इतर आंकड़ों को दर्शाने वाला एक पृथक विवरण भेजा जाए। कोटि-वार एवं थोक क्रयादेशों के आंकड़ें जनवरी और मार्च लेखे में स्वीकृत नामखाते से अनिवार्यतः मेल खाने चाहिए। **(पूर्वोक्त पत्र के**	03/06/2023	03/06/2023	21/06/2023

	अनुलग्नक-ए की मद सं. 25)			
2.	सामरिक रेल लाइनों पर घाटे का विवरण **(केवल ऊरे, पूसीरे, ऊपरे एवं परे के लिए)**	03/06/2023	03/06/2023	21/06/2023

नोट: उक्त विवरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाए कि इनमें दर्शाए गए आंकड़ों का लेखों के साथ लेखा-समाधान किया गया है और वहाँ कोई भिन्नता नहीं है।

कृपया पावती दें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

(प्रतिमा त्रिपाठी)
निदेशक वित्त/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली-110001.
2. लेखा विनियोजन अनुभाग, रेलवे बोर्ड को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. महाप्रबंधक/वित्त, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।